

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बंधित सामान्य जानकारो ॥
बुधवार, 10 जुलाई, 1996 / आषाढ 19, 1918 ॥ शक ॥

सं. 267.

सदस्य को नज़रबंदी एवं रिहाई

उपायुक्त माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त
उपायुक्त पुलिस, संसद मार्ग, नई दिल्ली से दिनांक : 8.7.96 को निम्नलिखित
सूचना दिनांक : 9.7.1996 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय
राजधानी राज्यक्षेत्र को विधान सभा के माननीय सदस्य
श्री राम भज को आज अर्थात् दिनांक : 8.7.1996 को
अपराहन 12.07 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली
से पुलिस के विधि सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण
पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत नज़रबंद
किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक : 8.7.1996 को अपराहन
12.20 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा
कर दिया गया।

सं. 267.

पी. एन. गुप्ता
सचिव

सदस्य को नज़रबंदी एवं रिहाई

उपायुक्त माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त
उपायुक्त पुलिस, संसद मार्ग, नई दिल्ली से दिनांक : 8.7.96 को निम्नलिखित
सूचना दिनांक : 9.7.1996 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय
राजधानी राज्यक्षेत्र को विधान सभा के माननीय सदस्य

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART -II

(General information relating to Legislative & other matters)
Wednesday, July 10, 1996/Ashada 19, 1918 (Saka)

No. 267

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 8.7.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly was received from Addl. Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi on 9.7.96 :-

"I have the honour to inform you that Shri Ram Bhaj, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1207 hours today i.e. 8.7.96.

He was released at 1220 hours from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 8.7.96."

P.N. GUPTA
SECRETARY